संख्याः २७७/XXX–2/2017

प्रेषकः

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1–समस्त अपर मुख्य सचिव/
प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून दिनांक २२ ~~अगस्त~~ सितम्बर, 2017

विषयः–**पदोन्नति हेतु आयोजित की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पूर्व वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के संसूचित किये जाने तथा प्राप्त प्रत्यावदनों के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या–273/XXX(2)/2016/30(39)2014 दिनांक 28.10.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (प्रतिकूल, अच्छा/संतोषजनक, उत्तम, अति उत्तम, उत्कृष्ठ वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का प्रकटीकरण एवं उसके विरूद्ध प्रत्यावेदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली, 2015 तथा शासनादेश संख्या 198/XXX(2)/2016 दिनांक 08.08.2016 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 28.10.2016 के प्रस्तर'–4 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि सभी विभागों के विभागाध्यक्षों द्वारा विभागीय चयन समिति हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव में इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य प्रस्तुत किया जायेगा कि पात्रता सूची में में आने वाले समस्त कार्मिकों को उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित कर दी गयी है एवं उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक् निस्तारण किया जा चुका है। यदि विभागीय चयन समिति की बैठक के समय अथवा उसके पश्चात वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों को संसूचित न करने अथवा प्रत्यावेदनों के अनिस्तारण की स्थिति संज्ञान में आती है, तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विभागाध्यक्ष का होगा।

2– शासन के संज्ञान में यह तथ्य आये हैं कि प्रतिवेदक, समीक्षक एवं स्वीकृता अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय–सारणी के अनुसार वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों का अंकन नहीं किया जा रहा है तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्मिकों को न तो उनकी वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियॉ संसूचित की जा रही हैं एवं न ही उनके विरूद्ध प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक् निस्तारण किया जा रहा है।

3– अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कृपया शासनादेश संख्या 273/XXX(2)/2016/30(39)2014 दिनांक 28.10.2016 के माध्यम से निर्गत निर्देशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव